|2024/139|

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 134 / 2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 139**
दायर दिनांक :– 03.09.2024 **निर्णय दिनांक :– 10.05.2025**

1. शिवशंकर पालीवाल पुत्र सांगीदान जाति पालीवाल निवासी बाप तह. बाप जिला फलोदी
2. गणपतलाल एस पालीवाल पुत्र सांगीदान जाति पालीवाल नि. बाप तह. बाप जिला फलोदी
3. कपिल पालीवाल पुत्र सांगीदान जाति पालीवाल निवासी बाप तह. बाप जिला फलोदी
4. हरिश कुमार पालीवाल पुत्र सांगीदान पालीवाल निवासी बाप तह. बाप जिला फलोदी

वादीगण.....

बनाम

1. सांगीदान पुत्र आईदान जाति पालीवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. संतुदेवी पुत्री सांगीदान पत्नी पुखराज जाति पालीवाल निवासी नाथूसर तहसील पोकरण
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

प्रतिवादीगण.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री रवि पालीवाल अधिवक्ता वादीगण
2 श्री पर्वतसिंह भाटी अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 व 2
3 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पैतृक खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि ग्राम बड़ीढाणी पटवार हल्का घटोर तहसील बाप के खसरा नम्बर 2015 रकबा 8.3932 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1974 रकबा 7.5029 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादीगण व प्रतिवादी संख 2 के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता आईदान पुत्र भागचन्द के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति होने से जरिये विरासत नामान्तरकरण के प्राप्त हुई है। उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृिक सम्पति है जो राजस्व अभिलेख से प्रमाणित है जिस पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का अपने पैतृक हिससे अनुसार कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वादीगण ने अपने पैतृक हिस्से की भूमि पर अपनी अलग–अलग रहवासीय ढाणियां, पानी के टांके इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणियों में वादीगण बारह मास अपने परिवार सहित निवास करते आ रहे है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के ही नाम दर्ज है जबकि उक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संखय 1 का जन्म से हक व हिस्सा है और वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त भूमि पर अपने–अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है इसलिये उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और से

1202५/139 |

अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने कथन किया कि वादीगण का वाद माफिक इस्तदुआ डिक्री किया जावे। प्रतिवादी संख्या 3 पैरोकार सरकार ने जवाब पेश कर बताया कि उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख 1 के नाम दर्ज है वादीगण का नाम प्रतिवादी संख 1 को सुनवाई का अवसर देकर प्रतिवादी संख्या 1 के साथ दर्ज कर दिया जाता है तो कोई उजर एतराज नहीं है। प्रतिवादीगण की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी संख्या 4 के बयान पी. डब्लू–1 कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। बहस में अधिवक्ता वादीगण ने कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि ग्राम बडीढाणी के खाता संख्या 212, 213 की जमाबंदी के खसरा नम्बर 2015 रकबा 8.3932 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1974 रकबा 7.5029 हैक्टेयर स्थित है। उक्त आराजी भूमि हमारी जददी जायदाज है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया है, इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जाये। वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवदेन किया है। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने भी कथन किया कि वादीगण को माफिक इस्तदुआ खातेदार घोषित किया जावे।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम बडीढाणी तहसील बाप में स्थित खसरा नम्बर 2015 रकबा 8.3932 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1974 रकबा 7.5029 हैक्टेयर भूमि नामान्तरकरण संख्या 653 ग्राम बाप अनुसार वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। पैतृक सम्पति होने से वादीगण का हक निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने घोषणा बाबत् सहमति व्यक्त की है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकरान के मध्य कोई विवाद नहीं है इसलिये प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक सहमति के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि ग्राम बडीढाणी तहसील बाप में स्थित खसरा नम्बर 2015 रकबा 8.3932 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1974 रकबा 7.5029 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त भूमि पूर्वानुसार रहन दर्ज रहेगी। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/5/25

(सुखराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. शिवशंकर पालीवाल पुत्र सांगीदान जाति पालीवाल निवासी बाप तह. बाप जिला फलोदी
2. गणपतलाल एस पालीवाल पुत्र सांगीदान जाति पालीवाल नि. बाप तह. बाप जिला फलोदी
3. कपिल पालीवाल पुत्र सांगीदान जाति पालीवाल निवासी बाप तह. बाप जिला फलोदी
4. हरिश कुमार पालीवाल पुत्र सांगीदान पालीवाल निवासी बाप तह. बाप जिला फलोदी

वादीगण.....

बनाम

1. सांगीदान पुत्र आईदान जाति पालीवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. संतुदेवी पुत्री सांगीदान पत्नी पुखराज जाति पालीवाल निवासी नाथूसर तहसील पोकरण
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

प्रतिवादीगण.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा संख्या :– 134 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर रवि पालीवाल मिनजानिब मुदई व पर्वतसिंह भाटी प्रतिवादी संख्या 1 मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि ग्राम बडीढाणी तहसील बाप में स्थित खसरा नम्बर 2015 रकबा 8.3932 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1974 रकबा 7.5029 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त भूमि पूर्वानुसार रहन दर्ज रहेगी। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें।नीचे

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्
फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.05.2025 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.05.2025	अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) जोधपुर जिला (ग्रामीण) एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय फलोदी के आदेश से पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में बैच के समक्ष प्रस्तुत हुई। वकील उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। वकील उभय पक्ष के निवेदन पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। सदस्य सहायक कलक्टर बाप (फलोदी) राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या 05 सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी) अध्यक्ष सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाप राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या 05	